कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास
मध्य प्रदेश

क्रमांक/शिक्षा शाला/2016/2555 भोपाल, दिनांक 3/2/16

प्रति,

तकनीकी संचालक,
राष्ट्रीय सूचना केन्द्र,
विंध्याचल भवन, भोपाल।

विषय–"आदिवासी युवाओं हेतु मेडिकल (AIPMT, AIMS) एवं इंजीनियरिंग (JEE) की प्रवेश परीक्षाओं की दो वर्षीय एवं एकवर्षीय कोचिंग हेतु राष्ट्रीय प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं हेतु विज्ञापन का प्रकाशन बाबत।

–0–

उपरोक्त विषयान्तर्गत आदिवासी युवाओं हेतु मेडिकल (AIPMT, AIMS) एवं इंजीनियरिंग (JEE) की प्रवेश परीक्षाओं हेतु राष्ट्रीय प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं से निविदा प्राप्त करने हेतु ट्रायबल पोर्टल पर विज्ञापन प्रदर्शित किया जाना है। उक्त योजनान्तर्गत निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक 15.2.2016 निर्धारित की गई है। कृपया निर्धारित तिथि के साथ इस योजना के विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु मेटर जो विशेष रंग/ब्लिंक करते हुए रनिंग रखा जावे। यह कार्यवाही शीघ्र ही करा दी जाये, जिससे राष्ट्रीय विज्ञापन प्रकाशित होने से देश के विभिन्न शहरों की कोचिंग संस्थाओं से आवेदन प्राप्त हो सके।

आयुक्त
आदिवासी विकास
मध्य प्रदेश

कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

विज्ञापन

मध्य प्रदेश राज्य के आदिवासी युवाओं हेतु मेडिकल (AIPMT, AIIMS) एवं इंजीनियरिंग (JEE) की प्रवेश परीक्षाओं हेतु राष्ट्रीय प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं से अनुसूचित जनजाति वर्ग के कक्षा 10 वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को दो वर्षीय तथा कक्षा 12 वी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को एक वर्षीय (ड्रॉपर बेच) कोचिंग कराने के लिये राष्ट्रीय प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं को इनपेनल्ड करने हेतु संस्थाओं से आवेदन पत्र दिनांक 15.02.2016 तक आमंत्रित हैं।

1. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के अधिनियमों/प्रचलित नियमों अंतर्गत कोचिंग देने के उद्देश्य से संस्था पंजीबद्ध हो। प्रस्ताव रजिस्टर्ड एवं ट्रेडिंग नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस एवं हस्ताक्षर हेतु अधिकृत द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा।
2. प्रतिवर्ष जे.ई.ई.एडवान्स कोचिंग के नियमित पाठ्यक्रम में कुल प्रवेशित विद्यार्थियों में से न्यूनतम 20 प्रतिशत सफल विद्यार्थियों अथवा जे.ई.ई.एडवान्स परीक्षा में सफल विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या 100 (जो भी अधिक हो) तथा मेडिकल कोचिंग संस्थाओं के लिए ए आई.पी.एम.टी./एम्स में सफल अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या 50 उम्मीदवारों अथवा कोचिंग के नियमित पाठ्यक्रम में कुल प्रवेशित विद्यार्थियों में से न्यूनतम 20 प्रतिशत सफल विद्यार्थियों (जो भी अधिक हो) वाली कोचिंग संस्थाओं को ही टेण्डर में प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु पात्र माना जावेगा।
3. कोचिंग संस्थाओं के पास स्वयं की अधोसंरचना, संसाधान फेकल्टी उपलब्ध हो।

क	गतिविधि	निर्धारित तिथि
1	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	15.02.2016 समय 5.00 बजे सायं तक
2	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि	17.02.2016 समय 3.00 बजे अपरान्ह
3	वित्तीय निविदा खालने की तिथि	19.02.2016 समय 3.00 बजे अपरान्ह
4	निविदा खोलने का स्थान	कार्या. आयुक्त, आदिवासी विकास सतपुडा भवन द्वितीय तल भोपाल।
5	सम्पर्क अधिकारी/दूरभाष क.	अपर संचालक, आदिवासी विकास म.प्र. 0755–2551552

4. तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा पृथक–पृथक सीलबन्द लिफाफे में प्रस्तुत की जावे।
5. निविदा के साथ आवश्यक दस्तावेज, सफल उम्मीदवारो की सूची दूरभाष क्रमांक सहित प्रस्तुत करनी होगी।

योजना का विस्तृत प्रावधान ट्रायबल पोर्टल पर उपलब्ध है।

अपर संचालक
आदिवासी विकास
मध्य प्रदेश

आदिवासी युवाओं हेतु मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कोचिंग क्लासेस योजना
इंजीनियरिंग (JEE MAIN) तथा All India Pre Medical Test (AIPMT)

योजना का उद्देश्यः– प्रदेश के आदिवासी वर्ग के विद्यार्थियों को तकनीकी तथा चिकित्सा क्षेत्र की राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक प्रतियोगी प्रतिष्ठित परीक्षाओं जैसे (JEE MAIN) तथा All India Pre Medical Test (AIPMT, CPMT, AIMS) की परीक्षा की तैयारी के लिये आधारभूत सुविधाऐं उपलब्ध कराना।

1. योजना का स्वरूपः–

मध्यप्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के कक्षा 10 वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उत्कृष्ट कोचिंग दिए जाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चिन्हांकित कोचिंग संस्थाओं को इनपेनल्ड किया जायेगा। इनपेनल्ड कोचिंग संस्थाओं द्वारा कोचिंग के लिए पात्र विद्यार्थियों में से मेरिट लिस्ट बनाकर चयनित विद्यार्थियों को कोचिंग दी जायेगी। ऐसे उम्मीदवार जो चयनित कोचिंग संस्था द्वारा बनाई गई मेरिट लिस्ट में पात्र होंगे, उन विद्यार्थियों द्वारा एनपेनल्ड में से चयनित कोचिंग संस्था जो म.प्र.राज्य में अथवा मध्य प्रदेश से बाहर संचालित है, उस नगर में कक्षा 11वीं–12 वीं में अध्ययन हेतु मान्यता प्राप्त शासकीय/अशासकीय विद्यालय में विद्यार्थी को प्रवेश लेना होगा। कक्षा 11वीं – 12 वीं के अध्यापन के साथ–साथ प्रतियोगी परीक्षा के लिए 2 वर्ष की कोचिंग क्लास में छात्रों को नियमित कोचिंग की सुविधा दी जावेगी ।

योजना अंतर्गत कक्षा 12 वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए सीमित संख्या में ड्रॉपर बेच के लिए मात्र कोचिंग संस्था में कोचिंग की सुविधा दी जाएगी।

2. पात्र हितग्राही :–

1. दो वर्ष की कोचिंग हेतु अनुसूचित जनजाति वर्ग के ऐसे विद्यार्थी जो कक्षा कक्षा 10वीं की परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हों । अधिकतम 100 विद्यार्थी इंजीनियरिंग एवं अधिकतम 100 विद्यार्थी चिकित्सा।
2. ड्रॉपर बेच एक वर्ष की कोचिंग हेतु अनुसूचित जनजाति वर्ग के ऐसे विद्यार्थी जो विगत वर्ष की प्रतियोगी परीक्षा में एस.टी.वर्ग की मेरिट में कट ऑफ अंक तक वर्तमान वर्ष की कक्षा 12 वीं की परीक्षा में अंक प्राप्त किये हों तथा अगले वर्ष की प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हों। चयन परीक्षा के लिये पात्र होंगे । अधिकतम 25 विद्यार्थी इंजीनियरिंग एवं अधिकतम 25 विद्यार्थी मेडिकल।
3. कोचिंग संस्था द्वारा अपने स्तर पर चयन परीक्षा आयोजित की जाकर क्रमांक 1 एवं 2 के पात्र विद्यार्थियों में से कोचिंग हेतु चयन किया जायेगा।
4. इस योजना अन्तर्गत चयनित विद्यार्थियों को अन्य शासकीय योजनाओं के लाभ की पात्रता कोचिंग अवधि में नहीं होगी।

5. संस्था की परफारमेन्स के आधार पर प्रथमतः 2 वर्ष के लिए एनपेनल्मेंट किया जायेगा। सफलता के प्रतिशत के आधार पर 2 वर्ष के उपरान्त भी एनपेनल्ड रखा जा सकेगा।

3. कोचिंग संस्थानों का चयन प्रक्रिया :–

1. **अ**–प्रतिवर्ष जे.ई.ई.एडवांस कोचिंग के नियमित पाठ्यक्रम में कुल प्रवेशित विद्यार्थियों में से न्यूनतम 20 प्रतिशत सफल विद्यार्थियों अथवा जे.ई.ई. एडवांस परीक्षा में सफल विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या 100 (जो भी अधिक हो) तथा मेडिकल कोचिंग संस्थाओं के लिये ए.आई.पी.एम.टी./एम्स में सफल अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या 50 उम्मीदवारों अथवा कोचिंग के नियमित पाठ्यक्रम में कुल प्रवेशित विद्यार्थियों में से न्यूनतम 20 प्रतिशत सफल विद्यार्थियों (जो भी अधिक हो) वाली कोचिंग संस्थाओं को ही टेन्डर में प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु पात्र माना जावेगा । कोचिंग संस्थाओं के पास स्वयं की अधोसंरचना संसाधन फेकल्टी उपलब्ध हो ।

   ब–देश की ऐसी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाऐं जिनमें उपरोक्त **अ** में दर्शित न्यूनतम संख्या तथा विद्यार्थी सफल होते हैं उन कोचिंग संस्थाओं द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा, स्कालरशिप परीक्षा में प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी चयनित होकर यदि सीधे प्रवेश लेते हैं तो उन्हें शासन द्वारा निर्धारित देय कोचिंग फीस एवं अन्य शुल्क का भुगतान पूर्व स्वीकृति अनुसार किया जायेगा ।

   स–एक वर्षीय ड्रापर बेच के लिये ऐसे आदिवासी विद्यार्थी जो जे.ई.ई. मेन्स में सफल हुए हैं किन्तु जे.ई.ई.एडवांस में सफल नहीं हुए हैं उपरोक्त मापदण्डों वाली संस्थाओं में प्रवेश लेने पर उन्हें योजना के स्वीकृति प्रावधान अनुसार कोचिंग एवं आवास मेस राशि का भुगतान किया जावेगा ।

1. कोचिंग संस्था से प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए विज्ञापन आयुक्त, आदिवासी विकास म.प्र. द्वारा जारी किया जायेगा।
2. कोचिंग संस्थाओं चयन के लिये समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी कर संस्थाओं का विवरण प्राप्त किया जाकर आयुक्त, आदिवासी विकास की अध्यक्षता में एक समिति प्रतिष्ठित संस्थानों का परीक्षण कर संस्थाओं को इनपेनल्ड करेगी।
3. कोचिंग संस्थान का कार्यक्षेत्र एक से अधिक स्थानों में होने की स्थिति में जिस स्थान विशेष का संस्थान का प्रदर्शन सर्वोत्तकृष्ट होगा उस स्थान विशेष केन्द्र के कोचिंग संस्थान को चयन में सम्मिलित किया जावेगा ।
4. ऐसी कोचिंग संस्था को प्राथमिकता दी जायेगी, जिनका द्वि–वर्षीय कोचिंग के साथ कक्षा 11 वीं एवं 12 वीं में विद्यार्थी को प्रवेश के लिए अच्छे विद्यालय से संबद्धता हो।
5. आवासीय व्यवस्था का शुल्क कोचिंग शुल्क से पृथक होगा। अतः आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।

4. कोचिंग हेतु संस्था चयन के मापदण्ड :

अ–सामान्य एवं तकनीकी

1. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के अधिनियमों/प्रचलित नियमों अंतर्गत कोचिंग देने के उद्देश्य से संस्था पंजीबद्ध हो। प्रस्ताव रजिस्टर्ड एवं ट्रेडिंग नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस एवं हस्ताक्षर हेतु अधिकृत द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा।
2. इलेक्ट्रॉनिक प्रस्ताव के अतिरिक्त हस्ताक्षरित पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा।
3. संस्था उद्देश्य अंतर्गत न्यूनतम 03 वर्ष से कार्यरत हो ।
4. संस्था में विगत 02 वर्षों में कोचिंग हेतु प्रवेशित अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों का विवरण एवं अनुसूचित जनजाति की सफलता का विवरण।
5. **अ**–प्रतिवर्ष जे.ई.ई.एडवांस कोचिंग के नियमित पाठ्यक्रम में कुल प्रवेशित विद्यार्थियों में से न्यूनतम 20 प्रतिशत सफल विद्यार्थियों अथवा जे.ई.ई. एडवांस परीक्षा में सफल विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या 100 (जो भी अधिक हो) तथा मेडिकल कोचिंग संस्थाओं के लिये ए.आई.पी.एम.टी./एम्स में सफल अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या 50 उम्मीदवारों अथवा कोचिंग के नियमित पाठ्यक्रम में कुल प्रवेशित विद्यार्थियों में से न्यूनतम 20 प्रतिशत सफल विद्यार्थियों (जो भी अधिक हो) वाली कोचिंग संस्थाओं को ही टेन्डर में प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु पात्र माना जावेगा । कोचिंग संस्थाओं के पास स्वयं की अधोसंरचना संसाधन फेकल्टी उपलब्ध हो ।

   ब–देश की ऐसी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाऐं जिनमें उपरोक्त **अ** में दर्शित न्यूनतम संख्या तथा विद्यार्थी सफल होते हैं उन कोचिंग संस्थाओं द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा, स्कालरशिप परीक्षा में प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी चयनित होकर यदि सीधे प्रवेश लेते हैं तो उन्हें शासन द्वारा निर्धारित देय कोचिंग फीस एवं अन्य शुल्क का भुगतान पूर्व स्वीकृति अनुसार किया जायेगा ।

   स–एक वर्षीय ड्रापर बेच के लिये ऐसे आदिवासी विद्यार्थी जो जे.ई.ई. मेन्स में सफल हुए हैं किन्तु जे.ई.ई.एडवांस में सफल नहीं हुए हैं उपरोक्त मापदण्डों वाली संस्थाओं में प्रवेश लेने पर उन्हें योजना के स्वीकृति प्रावधान अनुसार कोचिंग एवं आवास मेस राशि का भुगतान किया जावेगा ।

   द–कोचिंग संस्था द्वारा विद्यार्थियों की पात्रता हेतु प्रवेश परीक्षा स्वयं आयोजित करनी होगी ।
6. संस्था के पास विषयवार विषय विशेषज्ञ (Faculty) उपलब्ध होना ।
7. संस्था के पास क्लासरूम, कम्प्यूटर, प्रोजेक्टर, आधुनिक तकनीकी के समस्त साधन उपलब्ध हों।
8. संस्था पर किसी प्रकार का कानूनी वाद प्रचलित न हो, पूर्व में किसी प्रकार से वित्तीय या भ्रष्टाचार अथवा आपराधिक प्रकरणों पर ब्लेक लिस्टेड/सजाप्राप्त न हो।
9. संस्था के पास उपलब्ध आवासीय सुविधा व दी जा रही निःशुल्क अध्ययन सामग्री।
10. निःशुल्क/टोकन फीस पर कोचिंग देने के मदवार विवरण वाली प्रतिष्ठित संस्थाओं का चयन विगत तीन वर्षों की सफलता प्रतिशत के आधार पर रहेगा। वित्तीय मापदण्ड में मदवार सहायता का विवरण स्पष्ट दर्शाना होगा।

ब– वित्तीय मापदण्ड –

11. संस्था द्वारा कोचिंग की विषयवार अवधि एवं निर्धारित शुल्क का स्पष्ट वार्षिक विवरण।
12. संस्था द्वारा लॉजिंग/बोर्डिंग के लिए निर्धारित शुल्क का स्पष्ट मासिक विवरण।
13. संस्था द्वारा सीधे प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों से निर्धारित कोचिंग शुल्क का विवरण।
14. वित्तीय अंकेक्षण प्रतिवेदन सी.ए. द्वारा ।
15. अन्य मापदण्ड जिससे संस्थाओं की विश्वसनीयता/प्रतिष्ठा सिद्व हो सके।

5. कोचिंग संस्था में प्रवेश प्रकियाः–

जे.ई.ई./ए.आई.पी.एम.टी./ एवं अन्य इंजीनियरिंग तथा मेडिकल परीक्षाओं के लिए आयोजित परीक्षा हेतु :–

A. प्रदेश के इच्छुक अनुसूचित जनजाति वर्ग के ऐसे विद्यार्थी जो दो वर्ष नियमित अध्ययन के साथ–साथ उपरोक्त परिक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु विभाग द्वारा चयनित कोचिंग संस्थानों में 2 वर्ष की कोचिंग प्राप्त करना चाहते हैं। उपरोक्त अर्हता अनुसार पात्र विद्यार्थी।

B. अनुसूचित जनजाति वर्ग के कक्षा 12वीं उत्तीर्ण कर अगले 1 वर्ष (Dropper) उपरोक्त परिक्षाओं की कोचिंग लेने हेतु उपरोक्त अर्हता अनुसार पात्र विद्यार्थी।

1. एनपेनल्ड कोचिंग संस्थाओं द्वारा पात्रता परीक्षण हेतु परीक्षा आयोजित की जायेगी, इसके लिए विज्ञापन द्वारा अथवा सीधे भी आवेदन जिला स्तर पर प्राप्त किए जायेंगे। आवेदक विद्यार्थी को कोचिंग संस्था द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा । कोचिंग संस्थाओं द्वारा उपयुक्त पाये गये छात्रों की तैयार की गई मैरिट सूची के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा ।
2. विभाग द्वारा एनपेनल्ड कोचिंग संस्थाओं द्वारा ए एवं बी पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा। सभी संस्थाओं के प्रश्न पत्रों को एकजाई कर संकलित एक प्रश्न पत्र (सीमित प्रश्न संख्या) विभाग द्वारा अंतिम रूप दिया जायेगा। इसके लिए आयुक्त, आदिवासी विकास द्वारा पृथक से विषय विशेषज्ञों तथा कोचिंग संस्था के प्रतिनिधियों की समिति गठित की जायेगी। उपरोक्त प्रकिया हेतु विभाग द्वारा निर्धारित की गई जिम्मेदारी एनपेनल्ड संस्थाओं द्वारा निर्वहन की जायेगी।
3. कोचिंग संस्थाओं द्वारा क्रमांक 2 के प्रश्न पत्र पर परीक्षा आयोजन के लिए एक तिथि निर्धारित कर आधुनिक तकनीकों का प्रयोग कर परीक्षा आयोजित की जायेगी। मूल्यांकन प्रकिया में कोचिंग संस्था के सदस्य सम्मिलित रहेंगे। मूल्यांकन उपरान्त कॉमन मेरिट सूची जारी होगी, इस सूची से **ए एवं बी** की निर्धारित संख्या अनुसार प्रतियोगियों द्वारा कोचिंग संस्था का सीधे चयन किया जायेगा। चयनित विद्यार्थियों में से कोचिंग संस्था आवश्यकतानुसार अपने स्तर पर भी चयन परीक्षा आयोजित कर सकेगी।

4. विभाग द्वारा इनपेनल्ड कोचिंग संस्थाओं की सामान्य प्रवेश परीक्षा में सीधे सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी (कमांक 2 पात्रता अनुसार पात्र) भी यदि संस्था की मेरिट सूची स्थान प्राप्त करते हैं, तो उन्हें भी विभागीय योजनान्तर्गत सम्मिलित किया जायेगा।
5. आवेदक विद्यार्थी को अपने संभाग/जिले के विभागीय अधिकारी उपायुक्त/सहायक आयुक्त/जिला संयोजक को अपने जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र (3.00 लाख वार्षिक) एवं द्विवर्षीय पाठ्यक्रम/ड्रॉपर बेच के लिए अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करना होगा ।
6. कोचिंग संस्था की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा । प्राप्तांकों के औसत के आधार पर अधिकतम अंक के कम से रिक्त सीट (निर्धारित लक्ष्य) के अनुरूप कोचिंग हेतु चयन किया जावेगा ।

(कोचिंग संस्था का चयन विद्यार्थी द्वारा किये जाने पर कक्षा 11वीं में अध्यापन हेतु शिक्षण संस्था का चयन/प्रवेश विद्यार्थी द्वारा स्वयं किया जाकर संस्था में प्रवेश लिया जावेगा। शिक्षण संस्था में अध्ययन करना अनिवार्य होगा)

जिला स्तर को सीधे प्राप्त आवेदन पत्रों को संकलित किया जाकर चयनित कोचिंग संस्था की प्रवेश परीक्षा में विद्यार्थियों को जिला अधिकारी के द्वारा सम्मिलित कराया जायेगा । चयनित कोचिंग संस्थान द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा की मेरिट सूची के स्थान प्राप्त आवेदक विद्यार्थियों का संस्था की स्वीकृत सीट के आधार पर चयन निम्न समिति द्वारा किया जावेगाः–

1. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास
2. एनपेनल्ड कोचिंग संस्था के प्रतिनिधि

जिलों से प्राप्त चयन सूची को राज्य स्तर पर एकजाई किया जाकर राज्य स्तर पर मेरिट सूची तैयार की जायेगी।

6. कोचिंग हेतु प्रदाय की जाने वाली सुविधाऐंः–

1. कोचिंग संस्था द्वारा कोचिंग हेतु निर्धारित शुल्क (Actual) की शतप्रतिशत प्रतिपूर्ति।
2. कोचिंग संस्था द्वारा इंजीनियरिंग/मेडिकल परीक्षा की तैयारी हेतु निर्धारित कोचिंग सत्र में दी जाने वाली शैक्षणिक सुविधा, नोट्स अथवा अन्य पठनीय सामग्री पर लिये जाने वाला (Actual) समस्त शुल्क की प्रतिपूर्ति ।
3. पुस्तकों/पठन सामग्री/आवागमन एवं अन्य विविध व्यय की सुविधा उम्मीदवारों उपलब्ध करायी जायेगी।
4. आवास संबंधी सुविधाऐं विद्यार्थी द्वारा स्वयं किए जाने पर (Lodging & Boarding) हेतु प्रत्येक विद्यार्थी को रूपये 5000/– रूपये प्रतिमाह देय होगा ।
5. कोचिंग संस्था का यदि स्वयं का छात्रावास है तो सम्पूर्ण छात्रावास शुल्क मेस सहित (Actual) की प्रतिपूर्ति अधिकतम 4000/–।

6. मेडिकल/इंजीनियरिंग जिस परीक्षा के लिए कोचिंग की जा रही है, कोचिंग संस्था में प्रवेश लेने वाले माह से संबंधित परीक्षा के अंतिम प्रश्न पत्र वाले मासांत तक छात्रावासीय दर भुगतान योग्य होगी ।

7. कोचिंग संस्था से यदि कक्षा 11 वीं 12 वीं अध्यापन के लिए उच्चतर माध्यमिक शाला संबद्ध हो तो इस योजना हेतु चयनित छात्र संबंधित शिक्षण संस्था में नियमित प्रवेश लेना होगा। संबंधित विद्यालय का निर्धारित शिक्षण शुल्क शतप्रतिशत भुगतान विभाग द्वारा किया जायेगा। कक्षा 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने की 2 वर्ष की निरंतर अवधि में कोचिंग की सुविधा देय होगी । अनुत्तीर्ण/पूरक छात्र को पुनः कोचिंग की पात्रता नहीं होगी ।

8. ऐसे नवीन छात्र जो कक्षा 12वीं उत्तीर्ण हैं तथा उपरोक्त पाठ्यक्रम में कोचिंग करना चाहते हैं (Dropper) उम्मीदवार को कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद का तत्काल आगामी वर्ष हेतु 1 वर्ष की कोचिंग/आवासीय सुविधा 10 माह हेतु देय होगी ।

9. Dropper हेतु कोचिंग अवधि में आवासीय व्यवस्था संस्थान द्वारा उपलब्ध कराये जाने पर आवास/ मेस का (Actual) व्यय देय होगा । संस्थान की आवासीय व्यवस्था न होने पर अधिकतम रूपये 5000/– रूपये प्रतिमाह (Lodging & Boarding) हेतु प्रशिक्षणार्थियों को देय होगा ।

10. इस योजना का लाभ एक उम्मीदवार को एक बार ही देय होगा । जिन छात्रों को 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में कोचिंग दी गई है उन्हें (Dropper) उम्मीदवार के रूप में पुनः कोचिंग की पात्रता नहीं होगी ।

11. कक्षा 11वीं एवं कक्षा 12वीं में इस योजना अन्तर्गत प्रवेशित विद्यार्थी को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति शिक्षण व अन्य शुल्क देय नहीं होगी।

7. कोचिंग संस्था को शुल्क का भुगतान –

चयनित कोचिंग संस्था के प्रबंधन तथा आयुक्त आदिवासी विकास के मध्य एक एम.ओ.यू. करार किया जावेगा । जिसमें कोचिंग के लिये चयनित उम्मीदवारों के लिये 4 किश्तों में राशि स्वीकृति का प्रवधान रहेगा । जिलेवार चयनित विद्यार्थियों के लिए आबंटन राज्य स्तर से संबंधित जिलों को प्रदाय किया जाएगा। जिला स्तर से विद्यार्थियों एवं कोचिंग संस्था को बैंक के माध्यम से राशि का भुगतान किया जायेगा।

किश्त	दो वर्षीय पाठ्यक्रम.	एक वर्षीय पाठ्यक्रम
1. प्रथम किस्त	कोचिंग संस्था एवं विद्यालय में प्रवेश पर – 35 प्रतिशत ।	विद्यार्थी के प्रवेश के समय 35 प्रतिशत
2.द्वितीय किस्त	कक्षा 11वीं उत्तीर्ण होने एवं संस्था की कोचिंग के दौरान क्लासरूम टेस्ट में वार्षिक औसत 50 प्रतिशत ग्रेडिंग पर 25 प्रतिशत *	कोचिंग संस्था के क्लासरूम टेस्ट में माह दिसंबर तक औसत 50 प्रतिशत ग्रेडिंग एवं परीक्षा आवेदन भरे जाने के उपरान्त 35 प्रतिशत
3 तृतीय किस्त	कक्षा 12 वीं की परीक्षा एवं प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने के उपरान्त 30 प्रतिशत।	प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होन के उपरान्त 20 प्रतिशत।
4.चतृर्थ किस्त	प्रतियोगी परीक्षा मे सफल होने पर 10 प्रतिशत ।	प्रतियोगी परीक्षा मे सफल होने पर 10 प्रतिशत ।

* द्वितीय किश्त के मापदण्ड पूर्ण न कर पाने वाले विद्यार्थी को कक्षा 12 वीं के अध्ययन पूर्ण करने हेतु आवासीय सुविधा एवं शिक्षण संस्था का शुल्क निरन्तर रखा जायेगा, किन्तु कोचिंग संस्था का शुल्क निरन्तर नहीं रहेगा।

विभागाध्यक्ष स्तर से कोचिंग संस्थाओं का वर्ष में निरीक्षण कराया जा सकेगा। निरीक्षण में कोचिंग की गुणवत्ता कम पाये जाने पर संबंधित संस्था को देय किश्तों में कटौती की जा सकेगी।

क्र.	मद विवरण	प्रति विद्यार्थी संभावित व्यय	
		द्विवर्षीय पाठ्यक्रम	एक वर्षीय (ड्रापर बेच)
1	कक्षा 11 वीं एवं 12 वीं में शिक्षण शुल्क एवं समस्त अनिवार्य शुल्क (परीक्षा शुल्क, बोर्ड परीक्षा शुल्क,)	वास्तविक व्यय या अधिकतम 40,000 रू. वार्षिक जो कम हो	–
2	कक्षा 11 वीं एवं 12 वीं के लिए पुस्तकें, स्टेशनरी, कॉपियां एवं अन्य व्यय हेतु (एकमुश्त वार्षिक)		–
3	मेडिकल/इंजीनियरिंग कोचिंग संस्था का कोचिंग शुल्क	एम.ओ.यू.अनुसार/ अधिकतम 1.00 लाख वार्षिक	एम.ओ.यू.अनुसार अधिकतम 1.00 लाख
4	आवास एवं भोजन, परिवहन सुविधा, पाठ्य पुस्तकों/पठन सामग्री पर व्यय (मासिक)	5000 मासिक	5000 मासिक अधिकतम
	महायोग		

* कोचिंग संस्था द्वारा स्कीनिंग टेस्ट उपरान्त अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों की योग्यतानुसार यदि छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है तो छात्रवृत्ति राशि की सीमा तक शुल्क समायोजित किया जाएगा।

8. आय का बंधन:–

अभ्यार्थियों के अभिभावकों/माता पिता की वार्षिक आय 3.00 लाख रूपये की सीमा निर्धारित होगी ।

कोचिंग संस्था की ओर से प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन/छूट इस योजना के विद्यार्थियों को भी प्राप्त होंगे।

तकनीकी मापदण्ड (बंद लिफाफे में उपर तकनीकी मापदण्ड लिखा जावे)

आदिवासी युवाओं हेतु मेडिकल एवं इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा हेतु कोचिंग क्लासेस योजना

अ

1	कोचिंग संस्थान का नाम	
	पता	
	दूरभाष नम्बर/फैक्स नम्बर	
	दूरभाष नम्बर/फैक्स नम्बर	
2	जहां पर कोचिंग सेन्टर संचालित किया जा रहा है उस स्थान का पता दूरभाष नम्बर/फैक्स नम्बर दूरभाष नम्बर/फैक्स नम्बर	
3	कोचिंग संस्थान के सचिव/निदेशक का नाम/दूरभाष नम्बर/मोबाईल नम्बर	
4	कोचिंग संस्थान स्थापना करने की दिनांक	
5	यदि कोचिंग संस्थान किसी एक्ट/ट्रस्ट के अंतर्गत पंजीकृत है तो रजिस्ट्रेशन क्रमांक/दिनांक (रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति संलग्न करें)	
6	कोचिंग संस्थान के संघ विधान, उद्देश्य (प्रति संलग्न करें)	
7	संस्था की कोचिंग के संबंध में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा अथवा किसी न्यायालय द्वारा यदि दण्ड/ब्लैकलिस्टेड किया गया हो तो विवरण।	
8	संस्था के विरूद्ध वर्तमान में कोई कानूनी वाद प्रचलित हो तो विवरण	
9	कोचिंग हेतु उपलब्ध स्टाफ का विवरण :-	

क.सं.	फैकल्टी का नाम विषय	मोबाईल न.	शैक्षणिक योग्यता	कब से कार्यरत है	प्रतिमाह देय भत्ता

10	गत तीन वर्षों में कोचिंग संस्थान का राज्य/राज्य से बाहर से किसी प्रकार का अनुदान सहायता प्राप्त हुई तो उसका विवरण	
11	गत तीन वर्षों में प्रतियोगी परीक्षा (**JEE**) तथा **All India Pre Medical Test (AIPMT)** परीक्षा की तैयारी के लिए अभ्यर्थियों को करवाये गये कोचिंग का विवरण	

वर्ष	वर्ग	दो वर्षीय कोचिंग कोर्स का नाम			
		आई.आई.टी.-जे.ई.ई.		मेडिकल प्रवेश परीक्षा ए.आई.पी.एम.टी/एम्स/सी.पी.एम.टी.	
		सफल	असफल	सफल	असफल
2013	कुल				
	ST				
2014	कुल				
	ST				
2015	कुल				
	ST				

वर्ष	वर्ग	एक वर्षीय कोचिंग (ड्रॉपर बेच)			
		जे.ई.ई.एडवान्स		मेडिकल प्रवेश परीक्षा ए.आई.पी.एम.टी/एम्स/सी.पी.एम.टी.	
		सफल	असफल	सफल	असफल
2013	कुल				
	ST				
2014	कुल				
	ST				
2015	कुल				
	ST				

वर्ष 2015 में प्रतियोगी परीक्षा (JEE) तथा All India Pre Medical Test (AIPMT) परीक्षा में सफल उम्मीदवारों का विवरण। :–

परीक्षा का नाम : ———————————

क.	विद्यार्थी का नाम	चयन कमांक	आबंटित संस्था	निवास पता	सम्पर्क दूरभाष क.

ब–

12	संस्था में दो वर्षीय कोचिंग हेतु प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए कक्षा 11 वीं एवं 12 वीं अध्ययन हेतु संबद्ध विद्यालय का नांम तथा विगत तीन वर्षों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत तथा विद्यार्थियों द्वारा बोर्ड परीक्षा में प्राप्तांकों का प्रतिशत (आरक्षित एवं अनारक्षित श्रेणी का पृथक–पृथक)	
13	संस्था में दो वर्षीय एवं एक वर्षीय कोचिंग हेतु प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध छात्रावास एवं मेस व्यवस्था का विवरण एवं दूरभाष कमांक/सम्पर्क अधिकारी का नाम	
14	छात्रावास सुविधा में दी जा रही आवासीय सुविधा व सामग्रियों का विवरण	

		JEE	मेडिकल प्रवेश परीक्षा ए.आई.पी.एम.टी	मेडिकल प्रवेश परीक्षा एम्स
15	कोचिंग संस्थान में क्लॉस रूम की संख्या			
16	कोचिंग करने वाले अभ्यार्थियों हेतु आवास हेतु कमरों की संख्या			
17	कोचिंग संस्थान के पास उपलबध फर्नीचर, श्रव्य दृश्य सामग्री/प्रोजेक्टर/ कम्प्यूटर का विवरण			
18	कोचिंग संस्थान केपास उपलब्ध स्टडी मेटेरियल का विवरण			
19	कोचिंग संस्थान के बैंक खाता संख्या/शाखा का विवरण			

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण :–

1. कोचिंग संस्थान के रजिस्ट्रेशन/संघ विधान/उद्देश्यों की छायाप्रति।
2. गत तीन वर्षों के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन की प्रति।
3. बैंक पास बुक की फोटो प्रति।
4. कोचिंग संस्थान के पुस्तकालय का विवरण।
5. संस्था का आयकर खाता संख्या (पेन/टेन कार्ड की छायाप्रति)

वित्तीय मापदण्ड (बंद लिफाफे में उपर वित्तीय मापदण्ड लिखा जावे)

आदिवासी युवाओं हेतु मेडिकल एवं इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा हेतु कोचिंग क्लासेस योजना

अ–

1	कोचिंग संस्थान का नाम	
	स्थायी पता	
	दूरभाष नम्बर/फैक्स नम्बर	
	दूरभाष नम्बर/फैक्स नम्बर	
2	जहां पर कोचिंग सेन्टर संचालित किया जा रहा है उस स्थान का पता दूरभाष नम्बर/फैक्स नम्बर दूरभाष नम्बर/फैक्स नम्बर/ई–मेल	
3	कोचिंग संस्थान के सचिव/निदेशक का नाम/दूरभाष नम्बर/मोबाईल नम्बर/ई–मेल	
4	कोचिंग संस्थान स्थापना करने की दिनांक	
5	यदि कोचिंग संस्थान किसी एक्ट/ट्रस्ट के अंतर्गत पंजीकृत है तो रजिस्ट्रेशन कमांक/दिनांक (रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति संलग्न करें)	
6	संस्था का पेन/टेन नम्बर	
7	संस्था का सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नम्बर	
8	संस्था का कामर्सियल टैक्स रजिस्ट्रेशन नम्बर	
9	दो वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु	
अ	कोचिंग संस्था का निर्धारित शुल्क प्रथम वर्ष	
ब	शैक्षणिक नोट्स एवं अन्य पाठ्य सामग्री शुल्क प्रथम वर्ष	
स	कोचिंग संस्था का निर्धारित शुल्क द्वितीय वर्ष	
द	शैक्षणिक नोट्स एवं अन्य पाठ्य सामग्री शुल्क द्वितीय वर्ष	
ई	फीस प्राप्त करने हेतु प्रकिया एवं शर्ते	
ब.		
10	दो वर्षीय पाठ्यकम के साथ कक्षा 11 वीं, 12 वीं हेतु	
अ	सम्बद्ध हायर सेकेण्डरी स्कूल की कुल फीस प्रथम वर्ष	
ब	सम्बद्ध हायर सेकेण्डरी स्कूल की कुल फीस द्वितीय वर्ष	
स	फीस प्राप्त करने हेतु प्रकिया एवं शर्ते	
	योग कुल शुल्क (दो वर्षीय)	
	सर्विस टेक्स एवं अन्य टेक्सेस राशि	
	समस्त टेक्सस सहित कुल फीस	
11	एक वर्षीय पाठ्यकम हेतु	
अ	कोचिंग संस्था का निर्धारित शुल्क	
ब	शैक्षणिक नोट्स एवं अन्य पाठ्य सामग्री शुल्क	
स	फीस प्राप्त करने हेतु प्रकिया एवं शर्ते	
	योग कुल शुल्क (एक वर्षीय)	
12	सर्विस टेक्स एवं अन्य टेक्सेस राशि	
13	समस्त टेक्सस सहित कुल फीस	

स– कोचिंग अवधि में आवासीय सुविधा

14	कोचिंग अवधि में सम्बद्ध आवास/मेस व्यवस्था	
अ	आवास व्यवस्था में उपलब्ध करायी जाने वाली सामग्री	
ब	आवास व्यवस्था हेतु निर्धारित वार्षिक शुल्क	
स	मेस व्यवस्था का साप्ताहिक मीनू	
द	मेस व्यवस्था का निर्धारित वार्षिक शुल्क	
	योग (आवासीय व्यवस्था एवं मेस व्यवस्था)	
	आवास/मेस व्यवस्था शुल्क भुगतान प्रक्रिया/शर्तें	

स्थान

दिनांक............................

हस्ताक्षर..

नाम ....

प्राधिकृत प्राधिकारी का पदनाम एवं पदमुद्रा..........

..